Government of India

**National Commission for Scheduled Castes**

(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

5th Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 03.07.2024

File No. 27/09/UP/2022/ESDW

To,

The District Magistrate,
District – Kanpur,
Uttar Pradesh 208001
Email: dmkap@nic.in

Sub: New item appeared in Prabhat Khabar Digital Desk, Kanpur, dated 18-09-2022 under captioned "कानपुर में सीवर टैंक में उतरे मजदूरों की मौत, एक ने मौके पर और दो ने अस्पताल में तोड़ा दम"।

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the meeting held on **12.06.2024** in the chamber of Shri Love Kush Kumar, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Castes for necessary action.

It is therefore, requested that the **action taken report** in the matter may please be furnished to this Commission.

Yours faithfully

Encl: As above

(Prabhat Mohan Thakur)
Research Officer

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA**
**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES**
**(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)**

**फाइल संख्या- 27/09/यूपी/2022/ईएसडीडबल्यू**
**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**

**आयोग में दिनाक 12.06.2024 को हुई सुनवाई का कार्यवृत**

प्रकरण में दिनाक 12.06.2024 को सुनवाई की गई थी। श्री सूरज कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक) कानपुर उपस्थित हुए।

दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर डिजिटल डेस्क, कानपुर दिनाक 18.09.2022 में शीर्षक "कानपुर में सीवर टैंक में उतरे मजदूरों की मौत, एक ने मौके पर और दो ने अस्पताल में तोड़ा दम " समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र के अनुसार घटना स्थल पर सीवर लाइन में सफाई करने के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गयी (श्री शिवा तिवारी) जिसको बचाने के लिए दो अन्य मजदूर (श्री अंकित पाल व अमित कुमार ) सीवर लाइन के अंदर गए जहां पर उन दोनों की भी दम घुटने के कारण मृत्यु हो गयी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समाचार पत्र में प्रकाशित इस खबर पर स्वत संज्ञान लेते हुए संबन्धित अधिकरियों को मामले मे कृत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किए थे। परंतु निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रकरण में सुनवाई की गई। अपर जिलाधिकारी, कानपुर ने मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग को अवगत कराया कि मृतक तीनों सफाईकर्मियों को सीवेज टेंक की सफाई हेतु निजी कंपनी द्वारा पारिश्रमिक पर रखा था। तदुपरान्त टेंक की सफाई व सटरिंग खोलते समय जहरीली गेस से दम घुटने के कारण तीनों सफाईकर्मियों की मृत्यु हो गयी थी। कानपुर जिला प्रशासन ने मृतको के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में दिनाक 10.06.2024 को आर्थिक सहायता रुपये 04 लाख स्वीकृत कर संबन्धित राशि को उनके बैंक खातो में जमा करा दिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई थी। पीड़ित पक्षो एवं विरोधी पक्ष के बीच आपसी समझोता होने के कारण पीड़ित पक्ष ने मामले में कोई भी एफ़आईआर दर्ज कराने मना कर दिया था।

3. मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आयोग निमंलिखित अनुसंशाये करता है।

- जिला प्रशासन मृतक के माता पिता को पेंशन दिये जाने, विवाहित मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन या नौकरी दिए जाने, एवं बच्चों को शिक्षा उपलबद्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। ।

27/6/2024

Scanned with OKEN Scanner

- तीनों मृतको के आश्रितों को पक्का आवास की सुविधा उपलबद्ध कराई जाए।

- MS Act, 2013 के अनुसार मृतको के आश्रितों को रूपये 10 लाख की आर्थिक सहायता उपलबद्ध कराई जाये।

- जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सीवरों की सफाई के संबंध में PEMSR Rules, 2013 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा MS Act, 2013 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तत्काल संस्थागत कदम उठाए जाये। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की हेतु उचित कदम उठाए जाए ।

- MS Act, 2013 एवं PEMSR Rules, 2013 के प्रावधानों में दिये गए निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार/जिला प्रशासन को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- PEMSR Rules, 2013 के नियम 4&5 के अनुसार, जिला प्रशासन सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु अनुबंधित किए गए वयक्ति को सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणो को उपलबद्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। इसके अलावा PEMSR Rules, 2013 के अनुसार यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर की सफाई किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये। और नियमो के उलंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाही की जाये।

- मशीनों/रोबोट आदि का उपयोग करके सीवेज लाइनों, सेप्टिक टैंकों आदि की शत-प्रतिशत सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- जिलाधिकारी, कानपुर आयोग के अनुसंशायों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करे।

- कृत कारवाही रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पत्रावली को आयोग में बंद किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

21/6/2024

(लव कुश कुमार)
सदस्य

Scanned with OKEN Scanner